न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 19/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. स्व. श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाराम के कायम मुकाम–
1.1 श्रीमती मंजूदेवी पत्नि स्व. श्री प्रकाश कुमार जाति माली निवासी राधिका रेजीडेन्सी वार्ड नं. 01 सिरोही।
1.2 श्री प्रीतम माली पुत्र स्व. श्री प्रकाश कुमार जाति माली निवासी राधिका रेजीडेन्सी वार्ड नं. 01 सिरोही।
2. श्री भंवर लाल पुत्र श्री धनाजी जाति माली निवासी रत्न सागर अनूपदासजी की झोंपडी के सामने वाली गली, ग्राम पोसालिया पुलिस थाना पालडी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. श्री, अभियोजन अधिकारी, सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1.1 व 1.2 की ओर से।
3. श्री मदनसिंह राव अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2019 को वृताधिकारी वृत्त सिरोही द्वारा राधिका रेजीडेन्सी सिरोही अप्रार्थी संख्या एक के मकान के आगे रास्ते में एक लोडिंग टैम्पो नम्बर आरजे 24 जीए 3816 में कुल 19 गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया जाने एवं मौके पर उसके पास में रखे अन्य घरेलू सिलेण्डर से मशीन द्वारा गाडियों में गैस भरी जा रही थी। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाहनों में रिफलिंग किए जाने से उक्त सभी 28 गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक व दो को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण दोनों पक्षों की [illegible] बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी [illegible] एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 31.01.2019 श्री विक्रमसिंह आर.पी.एस. वृत्ताधिकारी वृत्त सिरोही को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा सिरोही में राधिका रेजीडेन्सी [illegible] अप्रार्थी संख्या एक श्री [illegible] कुमार अपने रहवासी मकान के आगे गली में एक ऑमनी इको कार में घरेलू गैस सिलेण्डर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से मशीन द्वारा अवैध रूप से गैस भर रहा है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचने पर श्री विक्रमसिंह आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत सिरोही पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर अप्रार्थी संख्या एक के मकान के आगे रास्ते में एक ऑमनी इको गाडी नं. आरजे 24 सीए 4541 में मशीन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी, जिस पर कार के पास खडे व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री भंवरलाल पुत्र धनाजी होना बताया, जो उक्त कार की टंकी में गैस भरवा रहा था। गैस भरने वाले का नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाराम जाति माली निवासी सिरोही होना बताया। अप्रार्थी संख्या एक श्री प्रकाश के मकान के खुले चौक में एक घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी का उल्टा रखा हुआ था, जिसमें मशीन लगाकर ऑमनी कार में गैस भरी जा रही थी, जिसके पास ही एक घरेलू सिलेण्डर एचपी कम्पनी का भरा हुआ पडा था, इसके अलावा एक खाली सिलेण्डर देवरसा कम्पनी, एक खाली सिलेण्डर वल्लभ गैस कम्पनी, चार खाली सिलेण्डर एचपी कम्पनी के एवं एक खाली कॉमर्शियल सिलेण्डर एचपी कम्पनी के मिले। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या एक के मकान के सामने गली में एक लोडिंग टेम्पो नं. आरजे 24 जीए 3816 खडा था, जिसके अन्दर डाले में कुल 19 एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए मिले, जिसे अप्रार्थी संख्या एक ने अपना होना बताया। अप्रार्थी संख्या एक से उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के बारे में पूछने पर कोई विधिक दस्तावेज अपने पास नहीं होना बताया एव ना ही गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में बिल/डायरियां अपने पास होना बताया। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से इलेक्ट्रोनिक मशीन द्वारा कार में अवैध रूप से गैस भरना व अप्रार्थी संख्या दो द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से कार में अवैध रूप से गैस भरवाना पाया गया। उपरोक्त गैस सिलेण्डरों में से 20 सिलेण्डर सील बन्द थे एवं 7 सिलेण्डरों की सील खुली हुई थी साथ ही मौके पर एक गैस भरने की मशीन मय पाईप व रेगूलेटर भी बरामद किया गया। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उपरोक्त सिलेण्डर उसने उपभोक्ताओं से खरीदकर लिए थे, जिनसे वह गाडियों में मशीन द्वारा गैस भरने का कार्य करता है। अतः अप्रार्थी द्वारा बडी मात्रा में घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण व वाहनों में रिफलिंग का कार्य किया जाने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त 28 घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। यह कि अप्रार्थी संख्या एक लोडिंग रिक्शा मजदूरी चलाने का कार्य करता है, जो सिरोही के आस-पास के क्षेत्रों में जहां गैस एजेन्सी द्वारा सिलेण्डरों की सप्लाई नहीं होती है, वहां के उपभोक्तों ने मिलकर अप्रार्थी संख्या एक के रिक्शे को किराए पर ले रखा है, जो दिन में उक्त खाली सिलेण्डरों को लोड कर गैस एजेन्सी लेकर आया था तथा [illegible] उपभोक्ताओं द्वारा अपने-अपने सिलेण्डर गैस एजेन्सी से भरवाकर वा[illegible] भरे [illegible] सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या एक के वाहन में लोड किए थे तथा शाम हो जा[illegible] कारण अप्रार्थी द्वारा दूसरे दिन आस-पास के गांवों में [illegible] उपभोक्ताओं [illegible] उनके भरे सिलेण्डर सुपूर्द करने थे, परन्तु रात्रि में अप्रार्थी [illegible] के घर के सामने में खडा था, जिसे पुलिस द्वारा गलत आधार पर सीज करते हुए सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया, जो गलत है। अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं से खरीद करने का कथन गलत किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक ने कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपराध कारित नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमाकर सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को सुपूर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में कब्जे सरकार लिए गए माल से अप्रार्थी संख्या दो का कोई लेना–देना नहीं है एवं न ही उक्त माल अप्रार्थी संख्या दो के पास से बरामद किया गया है। अतः कब्जे सरकार लिए गए माल को राजकोष में जमा किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या दो को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

मैने प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्तागण की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2019 श्री विक्रमसिंह आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत सिरोही को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा सिरोही में राधिका रेजीडेन्सी में अप्रार्थी संख्या एक श्री प्रकाश कुमार अपने रहवासी मकान के आगे गली में एक ऑमनी इको कार में घरेलू गैस सिलेण्डर से मशीन द्वारा अवैध रूप से गैस भर रहा है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचने पर श्री विक्रमसिंह आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत सिरोही पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर अप्रार्थी संख्या एक के मकान के आगे रास्ते में एक ऑमनी इको गाडी नं. आरजे 24 सीए 4541 में मशीन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी, जिस पर कार के पास खडे व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री भंवरलाल पुत्र धनाजी होना बताया, जो उक्त कार की टंकी में गैस भरवा रहा था। गैस भरने वाले का नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाराम जाति माली निवासी सिरोही होना बताया। अप्रार्थी संख्या एक श्री प्रकाश के मकान के खुले चौक में एक घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी का उल्टा रखा हुआ था, जिसमें मशीन लगाकर ऑमनी कार में गैस भरी जा रही थी, जिसके पास ही एक घरेलू सिलेण्डर एचपी कम्पनी का भरा हुआ पडा था, इसके अलावा एक खाली सिलेण्डर देवरसा कम्पनी, एक खाली सिलेण्डर वल्लभ गैस कम्पनी, चार खाली सिलेण्डर एचपी कम्पनी के एवं एक खाली कॉमर्शियल सिलेण्डर एचपी कम्पनी के मिले। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या एक के मकान के सामने गली में एक लोडिंग टेम्पो नं. आरजे 24 जीए 3816 खडा था, जिसके अन्दर डाले में कुल 19 एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए मिले, जिसे अप्रार्थी संख्या एक ने अपना होना बताया। अप्रार्थी संख्या एक से उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के बारे में पूछने पर कोई विधिक दस्तावेज अपने पास नहीं होना बताया एव ना ही गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में बिल/डायरियां अपने पास होना बताया। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से इलेक्ट्रोनिक मशीन द्वारा कार में अवैध रूप से गैस भरना व अप्रार्थी संख्या दो द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से कार में अवैध रूप से गैस भरवाना पाया गया। साथ ही मौके पर एक गैस भरने की मशीन मय पाईप व रेगूलेटर भी बरामद किया गया।

इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक लोडिं[illegible] करता है, जो सिरोही के आस–पास के क्षेत्रों में जहां गैस एजेन्सी [illegible]डरों की सप्लाई नहीं की जाती है, वहां के उपभोक्तों द्वा[illegible] खाली सिलेण्डरों को लोड कर गैस एजेन्सी [illegible] है [illegible] गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं द्वारा अपने–अपने सिलेण्डर [illegible] हुए सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या एक के वाहन में लोड किए जाते [illegible] चूंकि किसी भी गैस एजेन्सी से उपभोक्ताओं के सिलेण्डरों का भरवाने का कार्य गैस एजेन्सी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक को किसी भी गैस एजेन्सी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उपभोक्ताओं के सिलेण्डरों को भरवाने हेतु अधिकृत किया गया हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त सिलेण्डर उसने उपभोक्ताओं से खरीदकर लिए थे, जिनसे वह गाडियों में मशीन द्वारा गैस भरने का कार्य करता है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वाहनों में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा बडी मात्रा में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं वाहनों में रिफलिंग का कार्य बिना किसी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा भी यह सहमति दी गई है कि उपरोक्त सिलेण्डरों को राजकोष में जमा करवाया जाता है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लधंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये कुल 28 गैस सिलेण्डरों एवं मौके पर में मिले गैस भरने की मशीन मय पाईप व रेगूलेटर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त गैस सिलेण्ड़रों को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner